जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प–2(ई.सी.200)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी– 96 दिनांकः 8.01.2016

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 05.01.2016 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	200.1	कार्यकारी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते समय कार्यकारी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 के एजेण्डा संख्या संख्या 199.23 के क्रम में जारी किए गए परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्यअभि./ा/2015/ डी–525 दिनांक 04.12.2015 के बिन्दु संख्या 6 में निम्नांकित बिन्दु जोड़ने का निर्णय लिया गया :– "परन्तु यदि सेक्टर सड़क में आ रहे खसरे अथवा समर्पणकर्ता खातेदार के खाते में अंकित खसरों का आकार इस तरह का है कि वे सेक्टर कॉमर्शियल पट्टी में आंशिक रूप से ही आते हैं एवं सेक्टर कॉमर्शियल पट्टी की शेष भूमि समर्पणकर्ता/खातेदार के स्वामित्व की नहीं है तो भी समर्पणकर्ता द्वारा यदि पूरी भूमि समर्पित की जाती है तो उसे नियमानुसार 25 प्रतिशत सेक्टर कॉमर्शियल पट्टी में ही मुआवज़ा दिया जा सकेगा।" उपरोक्त बाबत आवश्यक संशोधित परिपत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			साथ ही एजेण्डा संख्या 199.18, 199.19, 199.20 एवं 199.29 के क्रम में दिनांक 02.12.2015 को क्रमशः क्रमांक प-2(ई.सी.199)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी-994, प-2(ई.सी.199)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी-995, प-2(ई.सी.199)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी-996, एवं प-2(ई.सी.199)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी-997 द्वारा जारी किए गए शुद्धि-पत्रों की भी पुष्टि की गई।	
2.	200.2	कार्यकारी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	200.3	जविप्रा की सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या 123 के नियमितिकरण करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या 123, के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-14
4.	200.4	Regarding ratification of approval of tender in the work "Renewal of Internal Roads in Institutional area in Zone-1A	विचार-विमर्श पश्चात " Renewal of Internal roads in Institutional area in Zone-1A JDA Jaipur." कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		JDA Jaipur.	के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स लटाला कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 12.00% कम दर पर राशि रूपए 1,19,94,191.00 की निविदा को स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
5.	200.5	भुखण्ड संख्या ए-3/28 क्षेत्रफल 390.00 वर्गमीटर ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड़ के स्थान पर 40.00 वर्गमीटर दिये जाने का निर्णय हुआ था जिसे पुनः संशोधित कर 390.00 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार प्रार्थी को पूर्व में आवंटित 40 वर्गमीटर के भूखण्ड के स्थान पर उसे लॉटरी में आवंटित भुखण्ड संख्या ए-3/28 जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गमीटर था, वही भूखण्ड पुनः आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-13
6.	200.6	आदित्य विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 22 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवासीय योजना आदित्य विहार के भूखण्ड संख्या 22 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-11
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
7.	200.7	Approval of tender for the work "Construction of low height coumpound wall in PAP Area of Ring Road Zone-14A, JDA, Japur	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of low height coumpound wall in PAP Area of Ring Road Zone-14A, JDA, Japur " कार्य के लिए निविदा	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स ग्यारसी लाल मोहन लाल के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 3.51% कम दर पर राशि रूपए 3,92,96,121.00 की निविदा को स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
8.	200.8	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ पर अंकित सभी 40 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-8
9.	200.9	ज.वि.प्रा. के विभिन्न जोनों में सैक्टर रोड से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ पर अंकित 33 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट-ब पर अंकित 2 प्रकरणों में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./ा /2015/डी-525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन-10ए
10.	200.10	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ पर अंकित	उपायुक्त जोन-9

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		रोड़ से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	97 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसी परिशिष्ट में क्रम संख्या **87** पर अंकित प्रकरण में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 31100 वर्गमीटर होने के कारण इस प्रकरण को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी–525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसरण में स्वीकृति प्रदान की गई।	
11.	200.11	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा में अंकित पांचों प्रकरणों में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी–525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन–7
12.	200.12	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि के खातेदारों/ हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार–विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा में अंकित दोनों प्रकरणों में से क्रम संख्या 1 पर अंकित प्रकरण में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्रम संख्या 2 पर अंकित प्रकरण में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी–525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	उपायुक्त जोन–7
13.	200.13	जोन–4 के क्षेत्राधिकार में हैंगर गेट से टर्मिनल–2 को जाने वाली 160	विचार–विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा में अंकित 9 प्रकरणों में से क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित प्रकरणों में की गई	उपायुक्त जोन–4

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		फीट रोड़, जे.एल.एन. मार्ग से टोंक रोड को जोडने वाली 100 फीट सेक्टर रोड़, सुविधा क्षेत्र की भूमि से प्रभावित परिवारों को जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत किये गये आवंटन पत्रों को कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृत करने बाबत।	कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्रम संख्या 8 एवं 9 पर अंकित प्रकरणों में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी-525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
14.	200.14	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा में अंकित सभी 6 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-14ए
15.	200.15	जोन-15 के क्षेत्राधिकार में सेज परियोजना एवं सेज सम्पर्क सड़कों तथा सेज पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत विकसित (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ पर अंकित सभी 41 प्रकरणों में की गई कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-15
16	200.16	राजस्व ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर में आनन्द लोक फेज द्वितीय विस्तार एवं रोड़ नेटवर्क योजना हेतु अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी-525 दिनांक	उपायुक्त जोन-12बी

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			04.12.2015 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/2015/डी–525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
17.	200.17	Post facto approval of tender of Construction & Renewal of Roads connecting various villages to village in Zone-11, JDA, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Construction & Renewal of Roads connecting various villages to village in Zone-11, JDA, Jaipur." कार्य के लिए एकल निविदा होने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार एकल दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स एलएलपी के पक्ष में नेगोशियशन के बाद "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 15.23% कम दर पर राशि रूपए 4,18,30,944.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
18.	200.18	Post facto approval of tender of Various Development Works in Ashrya vihar JDA residential scheme in village Daluwala Zone-11,JDA, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात "Various Development Works in Ashrya vihar JDA residential scheme in village Daluwala Zone-11, JDA, Jaipur." कार्य के लिए एकल निविदा होने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार एकल दरदाता मैसर्स हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एलएलपी के पक्ष में नेगोशियशन के बाद "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 9.09% कम दर पर राशि रूपए 5,18,73,733.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
19.	200.19	Approval of refund earnest money of M/s Malvika Technical Services, bidder, in the bid for "Design, Construction, Erection, Commissioning, trial Run of 1 MLD STP on Turnkey basis based on SBR technology with PLC, SCADA Systems, Allied works and O&M for 5 years for Rajeev Aawas Yojnam Muhana, Jaipur" & post facto approval in favor of M/s Divija Construction amounting to Rs. 1,97,50,000.00	विचार–विमर्श पश्चात "Design, Construction, Erection, Commissioning, trial Run of 1 MLD STP on Turnkey basis based on SBR technology with PLC, SCADA Systems, Allied works and O&M for 5 years for Rajeev Aawas Yojna Muhana, Jaipur" कार्य के लिए मैसर्स दिविजा कन्सट्रक्शन के पक्ष में राशि रूपए 1,97,50,000.00 के जारी कार्यादेश दिनांक 19.08.2015 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मैसर्स मालविका टेक्निकल सर्विसेज़ की अमानत राशि रूपए 1,30,000.00 को फर्म को लौटाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
20.	200.20	Approval of tender of Construction of Internal roads in various JDA Residential schemes in Zone-11, JDA, Jaipur. (Rate contract)	विचार–विमर्श पश्चात " Construction of Internal roads in various JDA Residential schemes in Zone-11, JDA, Jaipur. (Rate contract)." कार्य के लिए निविदा स्वीकृति करने की अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार न्यूनतम दरदाता मैसर्स देवी कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			में नेगोशियशन के बाद "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 11.99% कम दर पर राशि रूपए 1,59,83,496.00 की निविदा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	
21.	200.21	Agenda Note regarding post facto approval of bid for the work of P/L/J of DI/UPVC pipe line, construction of OHSR, CWR, pump house including O&M for 5 years etc in water supply scheme PAP area SEZ, Jaipur amounting to Rs. 13,43,20,162.83 in favor of M/s Jagdish Prasad Agrawal.	विचार-विमर्श पश्चात "work of P/L/J of DI/UPVC pipe line, construction of OHSR, CWR, pump house including O&M for 5 years etc in water supply scheme PAP area SEZ, Jaipur " कार्य के लिए निम्नानुसार निर्णय लिए गए :- 1. नेगोशिएशन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 2. बिड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की अवधि में वृद्धि कर 120 दिवस किए जाने की कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 3. उक्त कार्य के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल के साथ नेगोशिएशन करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि रूपए 13,43,20,162.83 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
22.	200.22	जविप्रा के विभिन्न जोनों में सेक्टर रोड़/ जयपुर मेट्रो से प्रभावित भूमि के खातेदारों/हितधारियों द्वारा जविप्रा में समर्पित करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व्यावसायिक/(20 प्रतिशत	विचार-विमर्श पश्चात प्रस्तावानुसार एजेण्डा में अंकित प्रकरण में समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम होने के कारण इन प्रकरणों को जविप्रा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुख्य अभि./II/	उपायुक्त जोन-5

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) भूमि के किये गये आवंटनों के सम्बन्ध में।	2015/ डी–525 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार जोन स्तर पर ही निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
23.	200.23	Post facto approval of tender for the work "Renewal in Lalkothi area internal colonies (Friends colony, Krishna Nagar, Avadhpuri, Indrapuri etc.) Zone-3, JDA, Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात " Renewal in Lalkothi area internal colonies (Friends colony, Krishna Nagar, Avadhpuri, Indrapuri etc.) Zone-3, JDA, Jaipur." कार्य के लिए एकल निविदा होने तथा निविदा स्वीकृति करने की अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार एकल दरदाता मैसर्स श्री बालाजी कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में नेगोशियशन के बाद "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 7.10% कम दर पर राशि रूपए 78,78,772.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
24.	200.24	राजस्व ग्राम–अचरोल, तहसील–आमेर में साईन्स टेक सिटी/स्पोर्ट्स सिटी योजना के आंशिक भाग के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण बाबत।	उक्त एजेण्डा बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श किया गया तथा लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति के सचिव श्री पी. एन. मैन्दोला द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी विचार–विमर्श किया गया। आपत्ति में दिए गए बिन्दु सामान्य टिप्पणी है, इसमें कोई विशिष्ट आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। यह प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या 5907/08 एवं 1554/04 में पारित आदेशों से भी प्रभावित नहीं होता है।	निदेशक (नगर आयोजना)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति के सचिव श्री पी. एन. मैन्दोला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किया गया।	
25.	200.25	Regarding post facto approval of tender for the work of "Consultancy for identification of land demarcation planning etc. of land for 160 feet & above Sector Roads, JDA, region Jaipur."	विचार–विमर्श पश्चात "Consultancy for identification of land demarcation planning etc. of land for 160 feet & above Sector Roads, JDA, region Jaipur." कार्य के लिए निविदा स्वीकृति करने की अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार न्यूनतम दरदाता मैसर्स ग्रीन सिटी सर्वेयर के पक्ष में नेगोशियशन के बाद रूपए 2,75,51,350.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
26.	200.26	Agenda note for approval of tender for the work of "Rate Contract for Two Year for Providing Laying and Jointing of lateral sewer line with construction of Pre-cast R.C.C. manholes in various colonies under Zone PHE-II and III, JDA, Jaipur" amounting to Rs. 4,03,81,347.75 in favor of M/s Parul Construction Company.	विचार–विमर्श पश्चात "Rate Contract for Two Year for Providing Laying and Jointing of lateral sewer line with construction of Pre-cast R.C.C. manholes in various colonies under Zone PHE-II and III, JDA, Jaipur" कार्य के लिए एजेण्डा में दिए गए प्रस्तावानुसार एकल दरदाता मैसर्स पारूल कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में राशि रूपए 4,03,81,347.75 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
27.	200.27	Post facto approval of tender for the work of "Renewal & Widening of Vatika Road from	विचार–विमर्श पश्चात "Renewal & Widening of Vatika Road from 12 mile to Kalla Walla Stand	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		12 mile to Kalla Walla Stand (Renewal of Vatika Road Phase-II) in Zone-14, JDA, Jaipur".	(Renewal of Vatika Road Phase-II) in Zone-14, JDA, Jaipur". कार्य के लिए निविदा स्वीकृति करने की अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार न्यूनतम दरदाता मैसर्स खुदाबख्श पठान के पक्ष में नेगोशियशन के बाद बिना किसी शर्त के "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 9.15% कम दर पर राशि रूपए 6,36,04,800.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
28.	200.28	Post facto approval of tender for the work of "Construction if remaining BT Road in SEZ Rehabilitation Scheme Dadiya, Zone-15, JDA, Jaipur	विचार–विमर्श पश्चात "Construction if remaining BT Road in SEZ Rehabilitation Scheme Dadiya, Zone-15, JDA, Jaipur ". कार्य के लिए निविदा स्वीकृति करने की अवधि 60 दिवस से अधिक हो जाने के कारण आर. टी.पी.पी. एक्ट 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार न्यूनतम दरदाता मैसर्स देवी कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में नेगोशियशन के बाद "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 17.72% कम दर पर राशि रूपए 6,86,01,025.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
29.	200.29	राजस्व ग्राम विजयपुरा नानूसर, किशोरपुरा चारणान्, नानूसर, तहसील	विचार–विमर्श पश्चात प्रकरण में समर्पित भूमि के बदले सम्बन्धित खातेदारों को	उपायुक्त जोन–12ए

सचिव,
[illegible] विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		जयपुर में स्थित एल.सी. नं. 233 पर रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण एवं सम्पर्क सड़कों हेतु अवाप्ति भूमि के सम्बन्ध में।	किए गए नकद भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
30.	200.30	Ex-post approval for the work of Electrification Hari Enclave village Hargul ki Nangal URF Charnawala, Jaipur.	विचार–विमर्श पश्चात " work of Electrification Hari Enclave village Hargul ki Nangal URF Charnawala, Jaipur.". कार्य के लिए कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत उक्त एजेण्डा के प्रस्तावनुसार न्यूनतम दरदाता मैसर्स स्वास्तिक इलैक्ट्रिकल एण्ड फर्टिलाईजर्स के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR-2013" पर 24.90% कम दर पर राशि रूपए 3,05,86,378.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
31.	200.31	जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या ए–192 के नियमितिकरण करने बाबत।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन–14
32.	200.32	जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या ए–149 के नियमितिकरण करने बाबत।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
33.	200.33	Amendment in delegation of powers for signing of cheques.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (वित्त)
34.	200.34	Construction of 200 feet wide road form 250 feet road to 160 feet wide road Khatwra in SEZ Rehabilitation Scheme in Zone-15 JDA, Jaipur (Phase-I)	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
35.	200.35	Ex-Post Facto approval for the work of providing and fixing Path Highlighters and Flood lights in Land Scaping area opposite World Trade Park at JLN Road, Jaipur at the rate of existing Rate Contract of street light work in PRN Area, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
36.	200.36	Ex-Post Facto approval for the work of Shifting/Dismantling of electrical utilities at Land Scaping area opposite World Trade Park	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		at JLN Road, Jaipur at the rate of existing Annual Rate Contract for shifting/Dismantling of Electrical utilities under Drainage Project at various places in Jaipur City, Jaipur.	किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
37.	200.37	Ex-Post Facto approval for the work of Shifting/Dismantling of HT/LT lines by laying U/G cables at Diggi House Road from Tonk Road to Digge House and at Jhalana Byepass Area, Jaipur at the rate of existing Annual Rate Contract for shifting/Dismantling of Electrical utilities under Drainage Project at Various places in Jaiupr City, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
38.	200.38	जयपुर विकास प्राधिकरण की 200 फीट सेक्टर रोड़ को विकसित करने हेतु ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खं. न. 1162/1028/607/1 कुल रकबा 0.40 हैक्ट (4000 व.मी.) भूमि का निःशुल्क समर्पण के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि के मुआवजे के बदले जारी आरक्षण पत्र की स्वीकृति हेतु।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन-11
39.	200.39	जयपुर विकास प्राधिकरण की 200 फीट सेक्टर रोड़ को विकसित करने हेतु ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खं. न. 606/3, 607/1 कुल रकबा 0.26 हैक्ट	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की	उपायुक्त जोन-11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		(2600 व.मी.) भूमि का निःशुल्क समर्पण के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि के मुआवजे के बदले जारी आरक्षण पत्र की स्वीकृति हेतु।	विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
40.	200.40	Agenda Note regarding approval to allow unregistered firm to participate in the bids for construction of sewerage treatment plant (STP) and O&M.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
41.	200.41	Modification in existing DLP period for various type of works.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
42.	200.42	Approval for the work of Electrification works in JDA residential scheme Anupam Vihar, JDA, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
व्यपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
43.	200.43	हरि एनक्लेव आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–47 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन–11
44.	200.44	ट्रक टर्मिनल योजना अजमेर रोड की सैक्टर व आंतरिक सड़कों के विकास हेतु, डी एल पी के अन्तर्गत निर्मित डब्ल्यू.बी.एम सड़कों को डीएलपी से मुक्त कर डामरीकरण कार्य कराने की स्वीकृति कराने हेतु।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
45.	200.45	Approval of work for Internal Electrification of JDA residential Scheme Nilay Kunj at village Dantoli and Siroli near Goner, Jaipur	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
46.	200.46	Approval of work for Electrification and 33 KV charging feeder work of residential Scheme Deen Dayal Nagar at Bhmbhori, Jaipur	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
47.	200.47	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी–229 के नियममितिकरण के सम्बन्ध में।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन–11
48.	200.48	Approval of tender for the work of "Refixing of Polycarbonate Sheet on space frame and link bridge main building to Extension building in JDA premises, Jaipur."	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
49.	200.49	अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी–187 के के सम्बन्ध में।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन–11
50.	200.50	अनुपम विहार आवासीय योजना के	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं	उपायुक्त जोन–11

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		भूखण्ड संख्या सी–615 के के सम्बन्ध में।	हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
51.	200.51	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Electrification work of Residential Scheme at Gawar Bhraman Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
52.	200.52	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Shifting/dismantling of IIT/IT lines by laying underground cables at Delhi road area (City Division-V, JVVNI) Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
53.	200.53	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Shifting/dismantling of existing HT/LT lines by erecting /laying new lines including street light work from Ajmer road to Girdharipura Kacchi basti and from C-	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Zone Byepass to Gas Godam marg, Zone-17, Jaipur.	कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
54.	200.54	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Shifting and dismantling of existing HT/LT lines by erecting /laying new lines at 100' Sector road from Narain Paradise and at railway line, Zone-16, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
55.	200.55	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of 33KV Charing feeder for Affordable Housing Schemes in JDA region Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
56.	200.56	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Electrification work for Aditya Vihar, Village Achrawala, Phagi Road, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
57.	200.57	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of 33KV Charing feeder in JDA	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
व्यापार विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Residential Scheme Anupam Vihar JDA Jaipur.	किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
58.	200.58	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Shifting/dismantling of existing HT/LT lines by laying underground cables in Malviya Nagar, Jawahar Nagar area (City Division-IV, JVVNL) Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
59.	200.59	Approval of accepting Bank Guarantee after 14 days (as per condition condition of LOA) for the work of Shifting and dismantling of existing IIT/IT lines at road widening work from New Sanganer road to Muhana Mandi and in front of Heerapath (Golia bass road) in PRN Zone 18&19 Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
60.	200.60	Approval for the Electrification work including 33KV charing feeder of JDA residential institutional scheme Rajarmpura at Sikar road , Jaipur	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रस्तुत किया जावे।	
61.	200.61	Withdraw of withdrawal work " Remaining civil work in Indoor Polo Area at Shooting Range, Jagatpura, Jaipur"	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
62.	200.62	Ex-Post Facto approval of the bid for the work " Rate contract for Shifting & Dismantling of existing g HT/LT lines by erecting/laying new lines in PRN area, Jaipur".	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
63.	200.63	Approval of tender for the work "Construction of B.T. Roads in PAP area of Ring Road Zone-14 (Inner side-North side Ch-19500 to 23500), JDA, Jaipur (Package-X)".	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
64.	200.64	"Remaining beautification work of entry point at Jawahar Circle Jaipur facing North JLN Marg." कार्य में मैसर्स गुलशन राय	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

सचिव,

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		जैन–II की 2 प्रतिशत अमानता राशि जब्त करने एवं फर्म को Dibar किए जाने के सम्बन्ध में।	का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
65.	200.65	आवास संख्या बी–9 योजना नारदपुरा के नियममितिकरण के सम्बन्ध में।	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	उपायुक्त जोन–10
66.	20.66	Approval of work for Electrification of B and F Block of JDA residential scheme central spine on Mahal Road, Jagatpura, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
67.	200.67	Approval of Bid documents for the work of Construction of Four Lane ROB in lieu of LC-102/2E, Hahota on JP-Sikar Railway line, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
68.	200.68	Approval of Bid documents for the work of Construction of Four Lane ROB in lieu of LC-102/2E, Hahota on JP-Sikar Railway line, Jaipur.	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
69.	200.69	Approval of work for "Electrification and 33 KV Charging Feeder work of residential scheme Shaurya Nagar at Himmatpura, Jaipur	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
70.	200.70	Singing of MoU between JDA and CISCO/GE/3M/Qualcomm for setting up of Innovation Centre at JDA Campus.	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत सरकार की योजना में शामिल होने के कारण तथा जयपुर शहर भी स्मार्ट सिटी में चयनित होने के कारण इस एजेण्डा की महत्वता एवं अति आवश्यकता को देखते हुए कार्यकारी समिति द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेतु MOU की शर्तों एवं भाषा में Minor Changes करने तथा MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
71.	200.71	Approval of the bid for the work "Shifting and dismantling HT/LT lines by laying underground cables in Vidhyadhar Nagar	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		Area (City Division-VII, JVVNL), Jaipur"	का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
72.	200.72	Approval of the bid for the work "Shifting and dismantling HT/LT lines by laying underground cables in Lalkothi, Nandpuri Area (City Division-VII, JVVNL), Jaipur"	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
73.	200.73	Holistic development of Gopalpura byepass from Tonk road to Gurjar ki thadi road in Maintenance Zone North, JDA, Jaipur. (Part II-Gopalpura ROB to Triveni Nagar, Chainage 600-1400)	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
74.	200.74	Holistic development of Gopalpura byepass from Tonk road to Gurjar ki thadi road in Maintenance Zone North, JDA, Jaipur. (Part I-Tonk Road to Gopalpura ROB, Chainage 0-600)	समयाभाव के कारण एजेण्डा पर चर्चा नहीं हो सकी। समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किए गए कि यदि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तो उसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर कार्रवाई की जावे अन्यथा एजेण्डा की विषयवस्तु की नवीनतम स्थिति के साथ कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,

अन्य निर्देश :–

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में निम्न निर्देश प्रदान किए गए :–

1. सेक्टर रोड के विकास के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि जोन–8 में अजमेर रोड से डिग्गी–मालपुरा रोड, जोन–9 में गोनेर रोड तथा जोन–11 में डिग्गी मालपुरा से अजमेर रोड तक सैक्टर सडकों को मॉडल सेक्टर रोड के रूप में प्लानिंग कर विकसित किया जावे। **(सम्बन्धित अधिकारी– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय तथा उपायुक्त ज़ोन–8 एवं उपायुक्त ज़ोन–9)**

(पवन कुमार डीड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
27.	श्री सलीम अहमद	अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–तृतीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री पी. सी. अम्बेश	अधिशाषी अभियन्ता–14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री ए. के. मदान	अधिशाषी अभियन्ता–पीआर–द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री एस. सी. मीना	अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
31.	श्री संजीव सचदेव	अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
32.	श्री अजय राठौड़	अधिशाषी अभियन्ता–RRP-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
33.	श्री एस. के. बिसारिया	अधिशाषी अभियन्ता–E-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
34.	श्री मोहित चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता–RRP-III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
35.	श्री सुधीर वर्मा	अधिशाषी अभियन्ता–PHE-III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
36.	श्री विनोद कुमार	अधिशाषी अभियन्ता–EE-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
37.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता–8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
38.	श्री वी. एम. जौहरी	अधिशाषी अभियन्ता–ROB-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
39.	श्री एस. विक्रम सिंह	अधिशाषी अभियन्ता–ROB-I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
40.	श्री जगन्नाथ बैरवा	अधिशाषी अभियन्ता–31	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
41.	श्री बृजेश अवस्थी	अधिशाषी अभियन्ता–5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
42.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी. आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
43.	श्री देवेश गुप्ता	सहायक अभियन्ता–E-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.200)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी- 06 दिनांकः 3/11/2016

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन सचदेड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर